22/6/25 पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय हेतु 2015 के रेम्प कार्यालय में पेश हुई मगर की प्रस्तुत न्यायालय में अभिमुक्त होने पर मूल वाद निर्णय होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रार्थनापत्र फैसल शुमार होकर नकार से ~~[illegible]~~ किया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भीम
जिला - राजसमन्द